

[2011] 4 एस.सी.आर. 646

बिनोद कुमार

बनाम

झारखंड राज्य और अन्य।

(2011 की सिविल अपील संख्या 2689)

मार्च 29, 2011

[दलवीर भंडारी और दीपक वर्मा, जे.जे.]

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988: धारा 7, 10, 11, 13(2) आर. डब्ल्यू. धारा 13(1)(ई); दंड संहिता, 1860 - धारा 409, 420, 423, 424, 465 और 120-बी - करोड़ों का घोटाला - लौह अयस्क खनन पट्टे के अनुदान के मामले में भ्रष्टाचार - राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री सहित कई पूर्व मंत्री शामिल - अपीलकर्ता के खिलाफ भी आरोप - कथित तौर पर भारत में ही नहीं, बल्कि विदेशों में भी संपत्ति, शेयर आदि में निवेश किया गया है - बुनियादी जांच के लिए यह निर्धारित करने की आवश्यकता है कि क्या धन आधिकारिक पद का दुरुपयोग करके अर्जित किया गया था जो 1988 अधिनियम और /पीसी के तहत किसी अपराध के बराबर है, यह किन व्यक्तियों द्वारा किया गया था, कितनी राशि अर्जित की गई थी और इसे कहां निवेश किया गया था - मनी लॉन्ड्रिंग के संबंध में कोई स्पष्ट विवरण नहीं - उच्च न्यायालय ने माना कि ओवरलैप का एक क्षेत्र था और इसे जांच को विफल करने के लिए अभियुक्तों के हाथों में एक उपकरण बनने की अनुमति नहीं दी जा सकती - मामले की गंभीरता और परिमाण को देखते हुए, उच्च न्यायालय ने मामले को केंद्रीय जांच ब्यूरो को भेज दिया। जांच (सीबीआई)

और यह भी देखा कि केंद्र सरकार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से सीबीआई को जांच स्थानांतरित करने के लिए पीएमपी अधिनियम की धारा 45 (1 ए) के तहत शक्तियों का प्रयोग करना चाहिए और यदि केंद्र सरकार द्वारा ऐसा कोई आदेश पारित नहीं किया जाता है, तो जांच के दौरान सीबीआई द्वारा पाई गई कोई भी सामग्री, जो पीएमएल अधिनियम के तहत मनी लॉन्ड्रिंग का अनुमान लगाती है, उसे सीबीआई द्वारा समय-समय पर ईडी के साथ साझा किया जाएगा ताकि ईडी ऐसी कार्रवाई कर सके जो आवश्यक हो सकती है- अपील पर, यह स्पष्ट रूप से कहा गया था कि सीबीआई केवल /पीसी और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत अपराधों के कमीशन की जांच कर रही थी और पीएमएल अधिनियम के तहत किसी भी अपराध की जांच नहीं कर रही थी क्योंकि पीएमएल अधिनियम के तहत जांच पूरी तरह से और विशेष रूप से ईडी के अधिकार क्षेत्र और डोमेन के अंतर्गत थी, जो निश्चित रूप से केंद्र सरकार द्वारा धारा 45 (1-ए) के तहत शक्तियों के प्रयोग के अधीन थी उच्च न्यायालय ने - धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 - धारा 45 (1ए) का आह्वान किया। ।

उच्च न्यायालय में दायर रिट याचिका में मूल आरोप राज्य के एक पूर्व मुख्यमंत्री सहित विभिन्न पूर्व मंत्रियों द्वारा अवैध संपत्ति अर्जित करने का था। यह आरोप अपीलकर्ता के विरुद्ध भी था। कथित रूप से अर्जित की गई धनराशि अभूतपूर्व मात्रा में थी, जिसे कथित रूप से न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी संपत्ति, शेयर आदि में निवेश किया गया था। मूल जांच में यह निर्धारित करना आवश्यक था कि क्या भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और भारतीय दंड संहिता के तहत अपराध के रूप में आधिकारिक पद का दुरुपयोग करके धन अर्जित किया गया था, किन व्यक्तियों द्वारा यह किया गया था, कितनी राशि अर्जित की गई थी और इसे कहां निवेश किया गया था। उच्च न्यायालय ने विवादित निर्णय में माना कि इस बारे में सकारात्मक निष्कर्ष देना न तो संभव था और न ही वांछनीय था कि अपराध की आय का कितना हिस्सा

बेदाग बताया गया था और इसलिए, इसमें ओवरलैप का एक क्षेत्र था और इसे जांच को विफल करने के लिए अभियुक्तों के हाथों में एक उपकरण बनने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। उच्च न्यायालय ने मामले को सीबीआई को भेज दिया। उच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार को प्रवर्तन निदेशालय से जांच को सीबीआई को सौंपने के लिए धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (पीएमएल अधिनियम) की धारा 45 {1ए} के तहत शक्तियों का प्रयोग करना चाहिए और यदि केंद्र सरकार द्वारा ऐसा कोई आदेश पारित नहीं किया जाता है, तो जांच के दौरान सीबीआई द्वारा पाई गई कोई भी सामग्री, जिससे पीएमएल अधिनियम के तहत धन शोधन का अनुमान लगाया जा सके, उसे समय-समय पर प्रवर्तन निदेशालय के साथ सीबीआई द्वारा साझा किया जाएगा ताकि प्रवर्तन निदेशालय आवश्यक कार्रवाई कर सके। उच्च न्यायालय के आदेशों को चुनौती देते हुए यह अपील दायर की गई थी।

अपील को खारिज करते हुए, कोर्ट ने कहा

निर्णय: प्रथम दृष्टया इस मामले की जांच केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो जैसी विशेषज्ञ जांच एजेंसी द्वारा व्यवस्थित, वैज्ञानिक और विश्लेषित जांच की आवश्यकता थी। राज्य सरकार के हलफनामे में यह शामिल किया गया था कि 32 कम्पनियों की जांच की जानी आवश्यक है तथा अवैध तरीकों से अर्जित धन का निवेश बैंकॉक, दुबई, जकार्ता, स्वीडन और लीबिया में किया गया था। यह भी उल्लेख किया गया था कि अन्य देशों में भी कई कम्पनियां हैं जिनमें अभियुक्तों द्वारा या विदेशी देशों में उनके सहयोगियों की मदद से भारी निवेश किया गया था। देशों और कम्पनियों की सूची से प्रथम दृष्टया संकेत मिलता है कि इसमें शामिल राशि मात्र कुछ करोड़ नहीं बल्कि कुछ सौ करोड़ के करीब हो सकती है। लिखित प्रस्तुतीकरण में यह स्पष्ट रूप से कहा गया था कि सीबीआई केवल इन अपराधों के होने की जांच कर रही थी तथा वर्तमान में धन

शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (पीएमएल अधिनियम) के तहत किसी भी अपराध की जांच नहीं कर रही थी क्योंकि पीएमएल अधिनियम के तहत जांच पूरी तरह से प्रवर्तन निदेशालय के अधिकार क्षेत्र और डोमेन में है जो पीएमएल अधिनियम की धारा 45(1ए) के तहत केन्द्र सरकार द्वारा शक्तियों के प्रयोग के अधीन है। तथ्यों और परिस्थितियों की समग्रता पर विचार करने पर, उच्च न्यायालय के आदेश में कोई हस्तक्षेप आवश्यक नहीं है। [पैरा 6, 46 और 47] (650-एफ-एच; 662-सी-ई)।

मगनभाई ईश्वरभाई पटेल इत्यादि बनाम भारत संघ एवं अन्य (1970) 3 एससीसी 400; एस जगन्नाथ बनाम भारत संघ एवं अन्य (1997) 2 एससीसी 87; केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य (1996) 9 एससीसी 735; प्रवर्तन निदेशालय एवं अन्य बनाम एम. सांबा शिव राव एवं अन्य (2000) 5 एससीसी 431 - संदर्भित।

केस लॉ संदर्भ:

(1970) 3 एससीसी 400	संदर्भित	पैरा 13
(1997) 2 एससीसी 87	संदर्भित	पैरा 13
(1996) 9 एससीसी 735	संदर्भित	पैरा 17
(2000) 5 एससीसी 431	संदर्भित	पैरा 18

सिविल अपील क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 2689/2011.

डब्ल्यू.पी. (पी.आई.एल.) संख्या 4700/2008 में झारखंड उच्च न्यायालय, रांची के दिनांक 04.08.2010 के निर्णय एवं आदेश से।

अपीलकर्ता की ओर से के.के. वेणुगोपाल, आर. वेंकट रमानी, गोपाल शंकर नारायणन, आलोक कुमार, संतोष कुमार, अरविंद बंसल, अन्वेष मधुकर, कृष्ण कुमार, पांडे नीरज राय, मुश्ताक अहमद।

प्रतिवादियों की ओर से एच.पी. रावल, एसजी, रंजना नारायण, पी.के. डे, ए.के. शर्मा, टी.ए. खान, 8. कृष्णा प्रसाद, बी.वी. बैरम दास, अनिल कुमार झा, संतोष कुमार।

न्यायालय का निर्णय दलवीर भंडारी, जे.द्वारा दिया गया

1. अनुमति दी गई।
2. यह अपील झारखंड उच्च न्यायालय, रांची द्वारा रिट याचिका (पीआईएल) संख्या 4700/2008 में पारित दिनांक 04.08.2010 के निर्णय एवं आदेश के विरुद्ध है।
3. विवादित फैसले में कहा गया है कि मूल आरोप राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री सहित विभिन्न पूर्व मंत्रियों द्वारा अवैध संपत्ति अर्जित करने का है। कथित तौर पर अर्जित की गई राशि अभूतपूर्व मात्रा में है। हालांकि, अभी तक ऊपर बताए गए अर्थ में इसके शोधन के बारे में कोई स्पष्ट आरोप नहीं है, लेकिन न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी संपत्ति, शेयर आदि में इसके निवेश का आरोप है।
4. बुनियादी जांच में यह निर्धारित करना आवश्यक है कि क्या भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और भारतीय दंड संहिता के तहत अपराध के रूप में आधिकारिक पद का दुरुपयोग करके धन अर्जित किया गया है, यह किन व्यक्तियों द्वारा किया गया है, कितनी राशि अर्जित की गई है और इसे कहां निवेश किया गया है।

5. आरोप है कि यह रकम कई सौ करोड़ रुपये में है। अब तक की जांच में पता चला है कि एक मामले में करीब डेढ़ करोड़ और दूसरे मामले में करीब साढ़े छह करोड़ रुपये की रकम सामने आई है, जो कि महज एक छोटी सी बात है। झारखंड राज्य के बाहर देश के विभिन्न राज्यों में ही नहीं, बल्कि अन्य देशों में भी निवेश किए जाने का मतलब है कि जांच न केवल बहु-राज्यीय बल्कि बहु-राष्ट्रीय भी है।
6. प्रथम दृष्टया इस मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो जैसी विशेषज्ञ जांच एजेंसी द्वारा व्यवस्थित, वैज्ञानिक और विश्लेषित जांच की आवश्यकता है। हलफनामे में यह भी कहा गया है कि 32 कंपनियों की जांच की जानी है और अवैध तरीकों से अर्जित धन को बैंकॉक (थाईलैंड), दुबई (यूएई), जकार्ता (इंडोनेशिया), स्वीडन और लीबिया में निवेश किया जा रहा है। यह भी उल्लेख किया गया है कि अन्य देशों में कई कंपनियां हैं जिनमें अभियुक्तों द्वारा या विदेशी देशों में उनके सहयोगियों की मदद से भारी निवेश किया गया है। देशों और कंपनियों की सूची से प्रथम दृष्टया संकेत मिलता है कि इसमें शामिल राशि महज कुछ करोड़ नहीं बल्कि कुछ सौ करोड़ के करीब हो सकती है।
7. उच्च न्यायालय ने अपने विवादित निर्णय में यह भी उल्लेख किया है कि इस स्तर पर इस बारे में सकारात्मक निष्कर्ष देना न तो संभव है और न ही वांछनीय है कि अपराध की कितनी आय 'बेदाग' साबित हुई है। इसलिए, इसमें ओवरलैप का क्षेत्र है और इसे जांच को विफल करने के लिए अभियुक्तों के हाथों में एक उपकरण बनने की अनुमति नहीं दी जा सकती। मामले की गंभीरता और परिमाण को देखते हुए, पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की सुनवाई के बाद, उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने मामले को केंद्रीय जांच ब्यूरो

को संदर्भित किया। उच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार को प्रवर्तन निदेशालय से जांच को सीबीआई को हस्तांतरित करने के लिए धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (संक्षेप में "पीएमएल अधिनियम") की धारा 45(1ए) के तहत शक्तियों का प्रयोग करना चाहिए। यदि केंद्र सरकार द्वारा ऐसा कोई आदेश पारित नहीं किया जाता है, तो जांच के दौरान सीबीआई द्वारा पाई गई कोई भी सामग्री, जो पीएमएल अधिनियम के तहत धन शोधन का अनुमान लगाती है, उसे सीबीआई द्वारा समय-समय पर प्रवर्तन निदेशालय के साथ साझा किया जाएगा, ताकि प्रवर्तन निदेशालय ऐसी कार्रवाई कर सके, जो आवश्यक हो।

8. उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलकर्ता ने इस न्यायालय के समक्ष यह अपील प्रस्तुत की। अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री के.के. वेणुगोपाल ने विवादित निर्णय तथा पी.एम.एल. अधिनियम की व्याख्या से संबंधित विधि के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विचार किया।
 1. "क्या पीएमएल अधिनियम एक स्व-अधिभोग संहिता है जबकि सीबीआई का गठन करने वाला अधिनियम सीमित है?"
 2. क्या पीएमएल अधिनियम की धारा 45(1ए) के साथ धारा 43 और 44 के आलोक में सीबीआई को उन अपराधों की जांच करने का कोई अधिकार है जो प्रवर्तन निदेशालय के एकमात्र अधिकार क्षेत्र में हैं?"
 3. क्या उच्च न्यायालय द्वारा जनहित याचिका के विरुद्ध सभी आरोपों को खारिज कर सीबीआई को जांच का निर्देश देना सही था?"
9. अपीलकर्ता के विद्वान वकील के अनुसार, पीएमएल अधिनियम की धारा 4 के तहत धन शोधन के अपराध की जांच केवल प्रवर्तन निदेशालय द्वारा की

जा सकती है और अधिनियम के तहत केवल विशेष न्यायालय द्वारा ही मुकदमा चलाया जा सकता है।

10. श्री वेणुगोपाल ने कहा कि पीएमएल अधिनियम एक आत्मनिर्भर संहिता है, जबकि सीबीआई का गठन करने वाला अधिनियम सीमित है।
11. श्री वेणुगोपाल ने आगे कहा कि पीएमएल अधिनियम 8 से 10 जून, 1998 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के विशेष सत्र द्वारा अपनाई गई राजनीतिक घोषणा के अनुसरण में अधिनियमित किया गया था, जिसमें सदस्य देशों से राष्ट्रीय धन शोधन कानून और कार्यक्रम अपनाने का आह्वान किया गया था। (पीएमएल अधिनियम की प्रस्तावना)।
12. अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 ('डीपीएसई अधिनियम') दिल्ली और केंद्र शासित प्रदेशों में अपराधों की जांच तक सीमित है।
13. श्री वेणुगोपाल ने कहा कि पीएमएल अधिनियम संविधान के अनुच्छेद 253 के अनुसार अधिनियमित किया गया था और यह किसी भी असंगत राज्य अधिनियम पर प्रभावी होगा। मगनभाई ईश्वरभाई पटेल आदि बनाम भारत संघ और अन्य (1970) 3 एससीसी 400 के पैरा 81 और एस. जगन्नाथ बनाम भारत संघ और अन्य (1997) 2 एससीसी 87 के पैरा 48 पर भरोसा किया गया है। हालांकि डीएसपीई अधिनियम के मामले में ऐसा नहीं है।
14. अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने यह भी प्रस्तुत किया कि पीएमएल अधिनियम संसद द्वारा पारित एक विशेष कानून है और इसमें न केवल 'अपराध' (अध्याय II) बल्कि 'जांच का तरीका', कुर्की और न्यायनिर्णयन (अध्याय III), समन, तलाशी, जब्ती और गिरफ्तारी की शक्ति (अध्याय V), न्यायाधिकरणों की स्थापना (अध्याय VI), विशेष न्यायालय (अध्याय VII),

प्राधिकरण और उनकी शक्तियां (अध्याय VIII) और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्थाएं (अध्याय IX) भी निर्धारित की गई हैं।

15. श्री वेणुगोपाल ने तर्क दिया कि अधिनियम एक विशेष एजेंसी की स्थापना करता है जिसमें पुलिस अधिकारी, राजस्व अधिकारी, आयकर अधिकारी और विभिन्न विभागों से लिए गए विभिन्न विशेष अधिकारी शामिल होते हैं। यह धारा 54 के तहत प्रवर्तन निदेशालय को निम्नलिखित अधिकारियों की सहायता लेने का अधिकार भी देता है:

(a). सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क विभाग;

(b). एनडीपीएस अधिनियम के तहत;

(c). इनकम टैक्स;

(d). शेयर-मार्केट;

(e). आरबीआई;

(f). पुलिस;

(g). फेमा के अंतर्गत;

(h). SEB; या

(i). किसी अधिनियम के तहत या केंद्र सरकार द्वारा स्थापित कोई भी निकाय कॉर्पोरेट

16. अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने यह भी तर्क दिया कि सीबीआई में केवल पुलिस अधिकारी शामिल हैं और उसके पास पीएमएल अधिनियम के तहत अपराधों से निपटने के लिए विशेषज्ञता या साधन नहीं है। इसके अलावा, जैसा कि पीएमएल अधिनियम की धारा 55 (सी) में विशेष रूप से परिभाषित किया गया है, ईडी को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपराध की आय का पता लगाने का अधिकार है, जब ईडी का संबंध किसी अनुबंधित राज्य से स्थापित होता

है तो उसे बहुत अधिक स्वतंत्रता दी जाती है। सीबीआई के पास ऐसा कोई लाभ नहीं है।

17. श्री वेणुगोपाल ने केंद्रीय जांच ब्यूरो बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य (1996) 9 धारा 735 में इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा जताया, जहां सीबीआई द्वारा फेरा के तहत अपराधों की जांच करने की मांग का समान मुद्दा उठा था, जो कि ईडी का एकमात्र क्षेत्र था, न्यायालय ने इस प्रकार निर्णय दिया था:

- (I). प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों को धारा 3 और 4 के अनुसार फेरा के तहत शक्तियों का प्रयोग करने का अधिकार दिया गया है तथा किसी अन्य प्राधिकारी को यह अधिकार नहीं दिया गया है, सिवाय इसके कि केन्द्र सरकार समय-समय पर उन्हें यह अधिकार दे।।
- (II). फेरा एक विशेष और केंद्रीय कानून है जिसे डीएसपीई अधिनियम की तुलना में बाद में लागू किया गया है, और सीआरपीसी की धारा 4(2) यह स्पष्ट करती है कि जांच से संबंधित किसी अन्य कानून में किसी प्रावधान के अभाव में ही पुलिस बल के किसी सदस्य को अपराध की जांच करने के लिए अधिकृत किया जाएगा।
- (III). फेरा अधिनियम अपने आप में एक पूर्ण संहिता है।
- (IV). चूंकि मामले में आरोप भारत के बाहर फेरा अपराधों से संबंधित हैं, तथा डीएसपीई को धारा 1 और 2 के तहत केवल भारत के अंदर किए गए अपराधों की जांच करने का अधिकार है, इसलिए डीएसपीई सदस्य को "भारत के बाहर किए गए अपराधों की जांच करने का अधिकार नहीं है।"

18. विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा कि उपरोक्त के अतिरिक्त, इस न्यायालय ने प्रवर्तन निदेशालय और अन्य बनाम एम. सांबा शिव राव और अन्य (2000) 5 एससीसी 431 के पैरा 5 में दोहराया है कि फेरा के प्रावधान एक पूर्ण संहिता का गठन करते हैं। पीएमएल अधिनियम के प्रावधान समान हैं, और कुछ मायनों में अधिक व्यापक हैं।
19. अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने आगे दलील दी कि चूंकि अपीलकर्ता के खिलाफ शिकायत में लगाए गए आरोप तथाकथित राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय अपराधों से संबंधित हैं, इसलिए इन अपराधों की जांच करने के लिए कानूनी और तथ्यात्मक रूप से सक्षम एकमात्र प्राधिकारी प्रवर्तन निदेशालय ही है।
20. श्री वेणुगोपाल ने आगे कहा कि पीएमएल अधिनियम की धारा 43 और 44 के साथ धारा 45 (1ए) के प्रकाश में, सीबीआई को उन अपराधों की जांच करने का कोई अधिकार नहीं है जो प्रवर्तन निदेशालय का एकमात्र क्षेत्र है।
21. श्री वेणुगोपाल ने यह दर्शाने के लिए पीएमएल अधिनियम की विभिन्न धाराओं का हवाला दिया कि केवल प्रवर्तन निदेशालय ही मामले की जांच कर सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि इसलिए सीबीआई द्वारा जांच का संचालन विधानमंडल और कार्यपालिका दोनों की मंशा के विपरीत है और इसके अलावा अगर सीबीआई की दलील को परखा जाए तो यह बेतुकी बात है। यह कहा गया है कि पीएमएल अधिनियम की धारा 4 के तहत दंडनीय अपराध के लिए किसी व्यक्ति को दोषी ठहराने के लिए प्रवर्तन निदेशालय को सबसे पहले यह तय करना होगा कि अनुसूचित अपराध किया गया है जो भारतीय दंड संहिता या भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम या नारकोटिक्स, ड्रग्स, साइकोट्रोपिक पदार्थ अधिनियम या पीएमएल अधिनियम में अनुसूची में किसी अन्य अधिनियम में दिए गए किसी अन्य अपराध के तहत अपराध हो सकता

है। एक बार जब यह पहला भाग साबित हो जाता है तो प्रवर्तन निदेशालय को यह साबित करना होगा कि अनुसूचित अपराध करने से कितना पैसा या कौन सी संपत्ति प्राप्त हुई और अंत में इसे कैसे बेदाग बताया जा रहा है। अपीलकर्ता ने प्रार्थना की कि रांची में पंजीकृत सतर्कता एफआईआर संख्या 09/09 की सीबीआई द्वारा की गई जांच को रद्द किया जाए और अपीलकर्ता को अवैध हिरासत से तत्काल रिहा किया जाए।

22. सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय की ओर से भी लिखित दलीलें दायर की गई हैं। लिखित दलीलों में उल्लेख किया गया है कि सतर्कता पी.एस. मामला संख्या 09/2009 दिनांक 02.07.2009 को अन्य बातों के साथ-साथ आईपीसी की धाराओं 409, 420, 423, 424, 465, 120-बी और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 7, 10, 11, 13(2) के साथ धारा 13(1)(ई) के तहत अपराध का आरोप लगाते हुए शुरू किया गया है। उक्त शिकायत विशेष न्यायाधीश, सतर्कता, रांची के निर्देश पर दर्ज की गई थी, जिन्होंने सीआरपीसी की धारा 156(3) के तहत शक्तियों का प्रयोग किया था। इसमें श्री मधु कोड़ा, पूर्व मुख्यमंत्री, श्री कमलेश सिंह, पूर्व मंत्री, श्री भानु प्रसाद शाह, पूर्व मंत्री और संधू तिकी, झारखंड के पूर्व मंत्री का नाम शामिल है।
23. झारखंड राज्य के सतर्कता विभाग द्वारा उक्त शिकायत की जांच के दौरान अपीलकर्ता बिनोद कुमार सिन्हा की संलिप्तता सामने आई थी। एफआईआर में अपीलकर्ता के खिलाफ स्पष्ट आरोप भी हैं। केंद्रीय जांच ब्यूरो केवल इन अपराधों के होने की जांच कर रहा है और पीएमएल अधिनियम, 2002 के तहत किसी अपराध की जांच नहीं कर रहा है क्योंकि उक्त अधिनियम के तहत जांच पूरी तरह से प्रवर्तन निदेशालय के अधिकार क्षेत्र और डोमेन में

है, जो निश्चित रूप से उक्त अधिनियम की धारा 45 (1-ए) के तहत केंद्र सरकार द्वारा शक्तियों के प्रयोग के अधीन है।

24. लिखित दलीलों में जांच के बारे में विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की गई है। इसमें यह भी शामिल किया गया है कि अपीलकर्ता, जो एक भगोड़ा था और गिरफ्तारी से बचता रहा, भारत के संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत इस न्यायालय के विवेकाधीन क्षेत्राधिकार के प्रयोग में किसी भी राहत का हकदार नहीं है। यह भी प्रार्थना की गई है कि सतर्कता पी.एस. संख्या 09/2009 की जांच सीबीआई को हस्तांतरित करने के आदेश को चुनौती देने वाली यह अपील खारिज किए जाने योग्य है।
25. यह भी शामिल किया गया है कि अपीलकर्ता कई करोड़ के घोटाले में शामिल है - लौह अयस्क खदान पट्टे देने के मामले में भ्रष्टाचार और अन्य कार्य जो विशेष रूप से निर्धारित हैं। हलफनामे में यह भी शामिल किया गया है कि अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के अवलोकन से पता चलता है कि उक्त अधिनियम प्रवर्तन निदेशालय को आईपीसी या भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 या किसी भी अनुसूचित अपराध के तहत अपराधों की जांच करने का अधिकार नहीं देता है। यह पीएमएल अधिनियम ही है जो प्रवर्तन निदेशालय को केवल धारा 3 के तहत परिभाषित और धारा 4 के तहत दंडनीय धन शोधन के अपराधों की जांच करने के लिए अधिकृत करता है। यह धन शोधन में शामिल संपत्ति की कुर्की, न्यायनिर्णयन और जब्ती और विशेष न्यायालयों की स्थापना का भी प्रावधान करता है।
26. धारा 2(पी) में मनी लॉन्ड्रिंग को इस प्रकार परिभाषित किया गया है: "मनी लॉन्ड्रिंग" का अर्थ धारा 3 में निर्दिष्ट है"

27. धारा 2(आरए) सीमा पार प्रभाव वाले अपराध को परिभाषित करती है और इसे नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है:- "सीमा पार प्रभाव वाले अपराध" का अर्थ है -

- (I). भारत के बाहर किसी स्थान पर किसी व्यक्ति द्वारा किया गया कोई आचरण, जो उस स्थान पर अपराध बनता है और जो अनुसूची के भाग क, भाग ख या भाग ग में विनिर्दिष्ट अपराध बनता, यदि वह भारत में किया गया होता और यदि ऐसा व्यक्ति ऐसे आचरण की आय या उसका कोई भाग भारत भेज देता है; या
- (II). अनुसूची के भाग क, भाग ख या भाग ग में विनिर्दिष्ट कोई अपराध जो भारत में किया गया है और अपराध की आय या उसका भाग भारत से बाहर किसी स्थान पर अन्तरित कर दिया गया है या अपराध की आय या उसका भाग भारत से बाहर किसी स्थान पर अन्तरित करने का प्रयास किया गया है। स्पष्टीकरण.-- इस खंड में अंतर्विष्ट कोई बात धन शोधन निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2009 के प्रारंभ होने से पूर्व अधिनियम की अनुसूची के भाग क या भाग ख में विनिर्दिष्ट अपराधों के संबंध में किसी प्राधिकारी के समक्ष किसी जांच, पूछताछ, विचारण या कार्यवाही पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगी।

28. धारा 2(यू) अपराध की आय को परिभाषित करती है और इसे नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है:

(यू) "अपराध की आय" का अर्थ है किसी व्यक्ति द्वारा अनुसूचित अपराध से संबंधित आपराधिक गतिविधि के परिणामस्वरूप प्रत्यक्ष

या अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त की गई संपत्ति या ऐसी किसी संपत्ति का मूल्य;

29. धारा 2(x) अनुसूची को परिभाषित करती है और इसे नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है: "अनुसूची" का अर्थ है इस अधिनियम की अनुसूची।
30. धारा 2 (वाई) अनुसूचित अपराधों को परिभाषित करती है और इसे यहां पुनः प्रस्तुत किया जाता है: -

(2y) "अनुसूचित अपराध" का अर्थ है-

- (i) अनुसूची के भाग ए के अंतर्गत निर्दिष्ट अपराध; या
- (ii) अनुसूची के भाग बी के अंतर्गत निर्दिष्ट अपराध यदि ऐसे अपराधों में शामिल कुल मूल्य तीस लाख रुपये या उससे अधिक है; या
- (iii) अनुसूची के भाग सी के अंतर्गत निर्दिष्ट अपराध।

31. धारा 3 और 4 नीचे पुनः प्रस्तुत हैं:-

"3. धन शोधन का अपराध.- जो कोई भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपराध की आय से संबंधित किसी प्रक्रिया या गतिविधि में लिप्त होने का प्रयास करता है या जानबूझकर सहायता करता है या जानबूझकर एक पक्ष है या वास्तव में शामिल है और इसे बेदाग संपत्ति के रूप में पेश करता है, वह धन शोधन के अपराध का दोषी होगा।"

"4. धन शोधन के लिए दण्ड.- जो कोई धन शोधन का अपराध करेगा, उसे कम से कम तीन वर्ष के कठोर कारावास से दण्डित किया जाएगा, किन्तु उसे सात वर्ष तक का दण्ड दिया जा सकेगा और वह पांच लाख रुपये तक के जुर्माने से भी दण्डित किया जा सकेगा:

बशर्ते कि जहां धन शोधन में अंतर्वलित अपराध की आय अनुसूची के भाग क के पैरा 2 के अधीन विनिर्दिष्ट किसी अपराध से संबंधित हो, वहां इस धारा के उपबंध इस प्रकार प्रभावी होंगे मानो "जो सात वर्ष तक का हो सकेगा" शब्दों के स्थान पर "जो दस वर्ष तक का हो सकेगा" शब्द रख दिए गए हों।"

1. सीबीआई की ओर से उपस्थित विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल श्री एच.पी. रावल ने कहा कि उपरोक्त प्रावधानों के अवलोकन से यह स्पष्ट हो जाता है कि धन शोधन का अपराध उक्त अधिनियम के अर्थ में एक अकेला अपराध है तथा इसकी जांच अकेले प्रवर्तन निदेशालय के अधिकार क्षेत्र में है।
2. उन्होंने यह भी कहा कि उक्त अधिनियम के प्रावधानों में भारतीय दंड संहिता, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम या किसी भी अनुसूचित अपराध की प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जांच का प्रावधान नहीं है।
3. श्री रावल ने तर्क दिया कि धारा 3 की शब्दावली को ध्यान में रखते हुए, अपराध की आय से जुड़ी कोई भी प्रक्रिया या गतिविधि और उसे बेदाग संपत्ति के रूप में पेश करना धन शोधन का अपराध है, जिसे धारा 4 के तहत दंडनीय बनाया गया है।
4. श्री रावल ने प्रस्तुत किया कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (1) में यह प्रावधान है कि यदि निदेशक या प्राधिकृत अधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण है कि उसके पास उपलब्ध सामग्री के आधार पर लिखित रूप में यह दर्ज किया जाए कि किसी व्यक्ति के पास अपराध की कोई आय है, ऐसे व्यक्ति पर अनुसूचित अपराध करने का आरोप लगाया गया है और अपराध की ऐसी आय को किसी भी तरीके से स्वीकार, हस्तांतरित या निपटाया जा सकता है, जिसके परिणामस्वरूप उक्त अधिनियम के अध्याय तीन के

तहत अपराध की ऐसी आय की जब्ती से संबंधित किसी भी कार्यवाही को विफल किया जा सकता है, तो लिखित आदेश द्वारा ऐसी संपत्ति को 150 दिनों से अधिक की अवधि के लिए अनंतिम रूप से कुर्क किया जा सकता है।

5. श्री रावल के अनुसार, उक्त प्रावधान को पढ़ने से यह स्पष्ट हो जाता है कि कुर्की की कार्रवाई आरंभ करने का अधिकार क्षेत्र किसी व्यक्ति के पास अपराध की किसी आय के कब्जे में होने के उचित विश्वास पर आधारित होना चाहिए, न कि उस व्यक्ति के पास अपराध की आय के कब्जे में होने की जांच पूरी होने पर। अंतर स्पष्ट है और धारा 5(1)(बी) से यह निष्कर्ष निकलता है कि मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल संपत्ति की कुर्की की कार्रवाई आरंभ करने की दूसरी शर्त यह है कि जिस व्यक्ति के संबंध में यह विश्वास करने का कारण है कि उसके पास अपराध की किसी आय का कब्जा है, उस पर अनुसूचित अपराध करने का आरोप लगाया गया है।
6. श्री रावल ने तर्क दिया कि यदि अपीलकर्ता की दलीलें सच होतीं, तो उक्त अधिनियम की धाराओं को अलग तरीके से लिखा जाता। उन्होंने यह भी कहा कि धारा 43 से 45 के प्रावधानों के आधार पर अपीलकर्ता का यह तर्क कि किसी भी अनुसूचित अपराध की जांच केवल प्रवर्तन निदेशालय द्वारा ही की जा सकती है, कानून के अनुसार उचित और तर्कसंगत नहीं है।
7. श्री रावल ने प्रस्तुत किया कि धारा 45 की उपधारा (1) के दूसरे परंतुक में दिए गए प्रावधान के अनुसार किसी अपराध का विशेष न्यायालय द्वारा संज्ञान लेने पर प्रतिबन्ध केवल धारा 4 के तहत दंडनीय अपराध के संबंध में है। केवल धन शोधन निवारण अधिनियम की धारा 4 के तहत दंडनीय अपराध

के संबंध में ही विशेष न्यायालय द्वारा संज्ञान लेने पर रोक है, सिवाय इसके कि लिखित में शिकायत के उपखंड (1) और (2) में प्रावधान है।

8. उन्होंने यह भी कहा कि इस प्रावधान का यह अर्थ नहीं लगाया जा सकता कि प्रवर्तन निदेशालय को किसी भी अनुसूचित अपराध की जांच करने का विशेष अधिकार है।
9. श्री रावल ने दलील दी कि अपीलकर्ता का यह तर्क कि केवल इसलिए कि पीएमएल अधिनियम की धारा 44 के तहत, जिस क्षेत्र में अपराध किया गया है, वहां गठित विशेष न्यायालय को अनुसूचित अपराध और धारा 4 के तहत दंडनीय अपराध की सुनवाई के लिए वैधानिक रूप से अधिकृत किया गया है, कानून में समान रूप से अस्थिर है क्योंकि उक्त अधिनियम की धारा 44 के उक्त प्रावधान में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा अनुसूचित अपराधों की विशेष जांच की परिकल्पना नहीं की गई है। श्री रावल ने प्रस्तुत किया कि अनुसूचित अपराध की सुनवाई पीएमएल अधिनियम के तहत जांच से अलग और भिन्न है।
10. प्रतिवादी के उपरोक्त तर्क को धारा 43(2) में निहित प्रावधानों के आधार पर पुष्ट किया गया है, जिसमें प्रावधान है कि धन शोधन निवारण अधिनियम (जिसका अर्थ केवल धन शोधन का अपराध है) के तहत अपराध की सुनवाई करते समय विशेष न्यायालय धारा 43 की उपधारा (1) के अलावा अन्य अपराध की भी सुनवाई करेगा, जिसके लिए दंड प्रक्रिया संहिता के तहत अभियुक्त पर उसी सुनवाई में आरोप लगाया जा सकता है।
11. उन्होंने तर्क दिया कि इसलिए अधिनियम की योजना अपीलकर्ता के इस तर्क को सही नहीं ठहराएगी कि धन शोधन के अपराध के आरोप के मामले में, अनुसूचित अपराध की भी प्रवर्तन निदेशालय द्वारा विशेष रूप से जांच की

जानी चाहिए। इस तरह के तर्क का अधिनियम के प्रावधानों द्वारा समर्थन नहीं किया जाता है क्योंकि किसी भी उचित जांच एजेंसी द्वारा धन शोधन के अलावा अन्य अपराध की जांच को प्रतिबंधित करने वाला कोई प्रावधान नहीं है।

12. श्री रावल ने कहा कि कथित तौर पर अर्जित की गई धनराशि अभूतपूर्व मात्रा में है। यह भी दर्ज किया गया है कि, हालांकि, पीएमएल अधिनियम में उल्लिखित अर्थ में इसके शोधन के बारे में अभी तक कोई स्पष्ट आरोप नहीं है। यह भी देखा गया है कि न केवल भारत में, बल्कि विदेशों में भी संपत्ति, शेयर आदि में उनके निवेश का आरोप है। ऐसा देखने के बाद यह दर्ज किया गया है कि इसलिए बुनियादी जांच में यह निर्धारित करने की आवश्यकता है कि क्या भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और भारतीय दंड संहिता के तहत अपराध के रूप में आधिकारिक पद का दुरुपयोग करके धन अर्जित किया गया है और जिन व्यक्तियों द्वारा ऐसा किया गया है, वह कितना धन अर्जित किया गया है और वह कहां निवेश किया गया है।
13. प्रतिवादियों के विद्वान अधिवक्ता के अनुसार, उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा जांच के निर्देश देने के लिए ठोस कारण बताए हैं। यहां तक कि इस न्यायालय ने दिनांक 01.09.2010 के आदेश के तहत नोटिस जारी करते हुए सीबीआई को उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार जांच जारी रखने का निर्देश दिया है। इन परिस्थितियों में, अपीलकर्ता किसी भी राहत का हकदार नहीं है, जैसा कि तर्क दिया गया है।
14. श्री रावल ने न्यायालय को सूचित किया कि वास्तव में आरोप पत्र सक्षम न्यायालय के समक्ष 12.11.2010 को दाखिल किया गया है, जिसमें अपीलकर्ता श्री बिनोद कुमार सिन्हा सहित विभिन्न आरोपियों के खिलाफ

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 120-बी, धारा 9, धारा 13 (2) के साथ धारा 13 (1) (डी) के तहत अपराध करने का आरोप लगाया गया है। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि जांच अभी भी जारी है और जांच के दौरान अन्य पहलुओं पर पर्याप्त सामग्री सामने आने पर बाद में आरोप पत्र दाखिल किए जा सकते हैं।

15. लिखित प्रस्तुतिकरण में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि केंद्रीय जांच ब्यूरो अकेले इन अपराधों के होने की जांच कर रहा है और वर्तमान में पीएमएल अधिनियम के तहत किसी भी अपराध की जांच नहीं कर रहा है क्योंकि पीएमएल अधिनियम के तहत जांच पूरी तरह से और विशेष रूप से प्रवर्तन निदेशालय के अधिकार क्षेत्र और डोमेन में है, जो निश्चित रूप से उक्त अधिनियम की धारा 45 (1-ए) के तहत केंद्र सरकार द्वारा शक्तियों के प्रयोग के अधीन है।
16. हमने पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को विस्तार से सुना है तथा उनके द्वारा दायर लिखित प्रस्तुतियों का अवलोकन किया है। तथ्यों और परिस्थितियों की समग्रता पर विचार करने के पश्चात, हमारा स्पष्ट मत है कि इसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।
17. अपील में कोई दम नहीं होने के कारण इसे खारिज किया जाता है।
18. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, हम पक्षों को अपनी लागत स्वयं वहन करने का निर्देश देते हैं।

डी.जी.

अपील खारिज.

यह अनुवाद मधु कुमारी, पैनल अनुवादक के द्वारा किया गया है।